



पुलिस

अधीक्षक

जनपद

भदोही



सी.यू.जी. - 9454400307,

दूरभाष- 05414-250236,

ई-मेल- spsrn-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद भदोही

पत्र संख्या- गोपीगंज (03)/2025

दिनांक- 09.04.2025

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक-09.04.2025 को श्री शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में थाना गोपीगंज व एसओजी/स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दिनांक-07.04.2025 को सायं थाना गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मदनपुर स्थित कुएँ से एक व्यक्ति का शव बरामद होने की सनसनीखेज घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या व शव छिपाने की घटना कारित करने के आरोपी को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के निशानदेही पर घटनास्थल ग्राम मदनपुर के पास झाड़ी से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल ईट बरामद किया गया है।

थाना गोपीगंज: थाना गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मदनपुर स्थित कुएँ से एक व्यक्ति शव बरामद होने की सनसनीखेज घटना का सफल अनावरण। हत्या की घटना कारित करने व शव छिपाने का आरोपी गिरफ्तार। अभियुक्त के निशानदेही पर घटनास्थल के पास झाड़ी से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल ईट बरामद।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.01.2025 को वादिनी मुकदमा/मृतक की पत्नी श्री मती रेखा देवी पत्नी मुकेश निवासिनी ग्राम मदनपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही द्वारा थाना गोपीगंज पर सूचना दिया गया कि दिनांक 30.12.2024 को उनके पति मुकेश बिन्द को गाँव का ही आरोपी अपने साथ घर से बाहर लेकर गया था। मेरे पति अब तक घर वापस नहीं आये हैं न ही उनके बारे में कोई सूचना मिल रही है। सूचना पर थाना गोपीगंज पर ही मु0अ0सं0 27/2025 धारा 140(3)बीएनएस का अभियोग पंजीकृत करते हुए गुमशुदा व्यक्ति के तलाश के सार्थक प्रयास सहित विधिक कार्यवाही प्रचलित की गयी।

दिनांक 07.04.2025 को सायं डायल-112 के माध्यम से प्राप्त सूचना पर थाना गोपीगंज क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम मदनपुर स्थित कुएँ से एक अज्ञात व्यक्ति का मृत अवस्था में शव बरामद हुआ। पुलिस उच्चाधिकारीगण के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस टीम द्वारा तत्काल शव को कुएँ से बाहर निकालकर शव की शिनाख्त के प्रयास के क्रम में मृतक की शिनाख्त मुकेश कुमार बिन्द पुत्र अमृतलाल बिन्द नि0 ग्राम मदनपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही के रूप में हुई। पंजीकृत अभियोग में विवेचना के क्रम में हत्या की घटना प्रकाश में आने पर धारा 103(1)/238 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

अभियुक्त की गिरफ्तारी का विवरण-

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन व श्री शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 09.04.2025 को घटना के शीघ्र अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज के नेतृत्व में गठित थाना गोपीगंज व एसओजी/स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबीर की सूचना के आधार पर हत्या कर शव को कुएँ में फेक देने की सनसनीखेज घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या व शव छिपाने के आरोपी वांछित अभियुक्त नींबू लाल उर्फ नागेन्द्र बहादुर पुत्र बृजलाल बिन्द नि0 मदनपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही को ग्राम कौलापुर चकपड़ौना ओवर ब्रिज के पास सर्विस लेन से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के निशानदेही पर घटना स्थल ग्राम मदनपुर नहर के पास स्थित झाड़ी से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल ईट बरामद किया गया है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 30.12.2024 को मैं और मुकेश जुआ खेलने गये थे सायं 06.00 बजे जुआं खेलने के बाद मैं और मुकेश कौलापुर देशी शराब की दुकान की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में ईंट भट्टा के पास एक महिला को देखकर मुकेश की नीयत खराब हो गयी, मुकेश उसके साथ गलत काम करना चाह रहा था, मैं उस महिला की साड़ी को दूर से ही देखकर पहचान गया कि वह मेरी पत्नी है। मैं दुखी हुआ कि आज मेरी पत्नी की जिन्दगी बर्बाद हो गयी होती। हम लोग देशी शराब की दुकान से दारू पिये, मुकेश मेरी पत्नी पर गलत निगाह रखता था जिसकी मुझे पहले से ही शिकायत मिली थी। आपस में झगड़ा करते हुए गुस्से में आकर मैंने ईंट से उसके सिर पर तेज वार कर दिया। मुकेश की मौके पर ही मृत्यु हो गयी फिर मैं घबरा कर उसके शव को घसीटकर कुएँ के पास ले गया। उसके शरीर से कपड़ों को उतार कर और अपना खून लगा कपड़ा इकट्ठा कर उस पर पुआल रखकर जला दिया तथा मुकेश के शव को कुएँ में फेंककर वहाँ से चला गया था। डरवश लुक छिप कर रह रहा था कि आज आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना स्थल के पास स्थित झाड़ी से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल ईंट बरामद किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता-

नींबू लाल उर्फ नागेन्द्र बहादुर पुत्र बृजलाल बिन्द नि० मदनपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही उम्र करीब 49 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

हत्या की घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल ईंट

अनावरण अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं०-27/2025 धारा 140(3) बढोत्तरी103(1),238 बी.एन.एस थाना गोपीगंज जनपद भदोही

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का विवरण – अभियुक्त नींबू लाल उर्फ नागेन्द्र आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध घर में घुसकर चोरी, गैंगस्टर, आयुध व आबकारी अधिनियम सहित गम्भीर अपराधों के लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं 1.मु०अ०सं०-09/2018 धारा-389,411 भा०द०वि० थाना गोपीगंज जनपद भदोही

2.मु०अ०सं०-02/2018 धारा-380,411 भा०द०वि० थाना गोपीगंज जनपद भदोही

3.मु०अ०सं०-05/2018 धारा-457,380,411 भा०द०वि० थाना गोपीगंज जनपद भदोही

4.मु०अ०सं०-11/2018 धारा-457,380,411 भा०द०वि० थाना गोपीगंज जनपद भदोही

5.मु०अ०सं०-41/2018 धारा-457,380,411 भा०द०वि० थाना गोपीगंज जनपद भदोही

6.मु०अ०सं०-05/2018 धारा-3(1) उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट थाना गोपीगंज जनपद भदोही

7.मु०अ०सं०-228/2018 धारा-3(1) उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट थाना गोपीगंज जनपद भदोही

8.मु०अ०सं०-323/2021 धारा-60 आबकारी अधिनियम थाना गोपीगंज जनपद भदोही

9.मु०अ०सं०-66/23 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट थाना गोपीगंज जनपद भदोही

10.मु०अ०सं०-27/25 धारा-140(3),103(1),238 बी०एन०एस० थाना गोपीगंज जनपद भदोही

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

टीम(I)- 1.नि० आशुतोष कुमार तिवारी प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज 2.उ०नि० राजेन्द्र प्रसाद 3.मु०आ० वीरेन्द्र भारती 4.आ० सुरेन्द्र गहलोत 5.मु०आ० माधुरी गौतम 6. मु०आ० धीरेन्द्र भारती 7.आ० दिनेश कुमार 8.आ० जयप्रकाश मौर्या थाना गोपीगंज जनपद भदोही

टीम(II)- 1.निरी० श्याम बहादुर यादव प्रभारी एस०ओ०जी०/ सर्विलांस सेल 2.हे०का० धीरेन्द्र श्रीवास्तव एस०ओ०जी० 3.हे०का० हरिकेश यादव एस०ओ०जी० 4.हे०का० बृजेश सिंह सुर्यवंशी एस०ओ०जी० 5.हे०का० राधेश्याम कुशवाहा 6.का० प्रवेश कुमार एस०ओ०जी० 7.का० गोपाल खरवार सर्विलांस सेल 8.का० नीरज यादव सर्विलांस सेल 9.का० राघवेन्द्र कुशवाहा 10.का० अहम सिंह एस०ओ०जी० 11.का० प्रिन्स भार्गव सर्विलांस सेल

घटना के अनावरण व गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को मिलेगा ₹15,000/- नगद ईनाम-

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा सनसनीखेज घटना के अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को ₹15,000/- नगद ईनाम से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है।

